<u>न्यायालय – हेमन्त कुमार रघुवंशी, अट्ठाइसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर(म.प्र.)</u>

<u>Registration No.B.A./3807/2026</u>
<u>Filling No-BA/66537/2026</u>
<u>CNR No.-MP0901-077500-2026</u>
<u>Filling/Institution Date-05-10-2026</u>
<u>P.S.-Crime Brach Indore</u>
<u>Crime No.-154/2026</u>
<u>Sec. 406, 409 & 420 IPC</u>

राजीव धाम पिता स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश धाम,
आयु–64वर्ष, व्यवसाय–संपादक
निवासी–रॉयल प्रीमियम, फ्लेट नंबर–602, स्कीम नंबर–74,
ए.बी. रोड, सत्य साई स्कूल के पास, जिला–इंदौर(म.प्र.)

–आवेदक / आरोपी

<u>विरूद्ध</u>

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केंद्र काइम ब्रांच (अपराध शाखा)
जिला–इंदौर(म.प्र.)

–अनावेदक / अभियोगी

<u>प्रतिलिपि आदेश पत्रिका</u>

1.	जमानत आवेदन पत्र क्रं.	3807 / 2026
2.	जमानत आवेदन संस्थित दिनांक	05.10.2026
3.	अपराध की दिनांक	01.02.2015–06.01.2022
4.	अपराध क्रं.	154 / 2026
5.	धाराएं	406, 409, 420 भा.द.वि.
6.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की दिनांक	29.09.2026
7.	आरक्षी केन्द्र	काइम ब्रांच (अपराध शाखा) जिला–इंदौर(म.प्र.)
8.	गिरफ्तारी दिनांक	–
9.	न्यायिक अभिरक्षा	–

10.	अनुसंधान की स्थिति	अपूर्ण।
11.	अभियोग पत्र प्रस्तुती दिनांक	—
12.	अभियोग पत्र क्रमांक	—
13.	प्रकरण क्रमांक	—
14.	आपराधिक रिकार्ड	संलग्न नहीं है।

06-10-2026

यह प्रतिभूति आवेदन माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी राजीव धाम की ओर से श्री शांतनु शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/शासन द्वारा श्री अभिजीत सिंह राठौर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र क्राइम ब्रांच, जिला—इंदौर से अपराध क्रमांक—154/2026 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन की प्रति आवेदक/अभियुक्त को परिदत्त की गयी।

उक्त प्रतिभूति आवेदन आरक्षी केन्द्र क्राइम ब्रांच, जिला—इंदौर(म.प्र.) के प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक—154/2026, दिनांक—29.09.2026 से संबंधित है।

आवेदक/आरोपी की ओर से धारा—482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत **प्रथम अग्रिम प्रतिभूति** हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवेदन प्रथम आवेदन होने व अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में लंबित व निराकृत न होने बावत् आवेदक/आरोपी राजीव धाम पिता स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश धाम, आयु—64वर्ष, व्यवसाय—संपादक निवासी—रॉयल प्रीमियम, फ्लेट नंबर—602, स्कीम नंबर—74, ए.बी. रोड, सत्य साई स्कूल के पास, जिला—इंदौर(म.प्र.) द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/आरोपी राजीव धाम का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक इंदौर का स्थायी, प्रतिष्ठित 64वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है।

आवेदक/आरोपी का इंदौर में स्थायी निवास, परिवार एवं व्यवसाय है। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अथवा लंबित नहीं है। अनावेदक पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती मनमीत कौर आनंद के शिकायत आवेदन (वरिष्ठ कार्यालय शिकायत क्रमांक का.शि.–653/26 दिनांक 25.06.2026) पर, पुलिस उपायुक्त (नगरीय अपराध) के आदेश क्रमांक–53/26 दिनांकित–29.09.2026 के अनुक्रम में, आवेदक एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक–0154/2026, धारा–406, 409, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दिनांक–29.09.2026 को पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार यह है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता एवं उसकी स्वर्गीय सास का विश्वास अर्जित कर, उनके पारिवारिक संपत्ति विवाद में मध्यस्थता का आश्वासन देकर, वर्ष 2015 से 2022 के मध्य उनके बैंक खातों से कुल रुपए 4,16,55,000/– प्राप्त किए, जिसमें से रुपए 3,90,90,970/– नहीं लौटाए गए तथा सुरक्षा के नाम पर चेक देकर शिकायतकर्ता को भ्रमित रखा गया। वास्तविक तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता एवं उसकी सास स्वर्गीय श्रीमती गजिन्दर पाल कौर, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक–23.06.2000 द्वारा ग्राम–भिचोली मर्दाना, तहसील व जिला–इंदौर(म.प्र.) स्थित सर्वे नंबर–296/3 पैकी, 297 पैकी एवं 298/1 पैकी, कुल रकबा 0.683 हेक्टेयर भूमि की भूमिस्वामी थीं। शिकायतकर्ता ने दिनांक–27.10.2019 को उक्त भूमि में से 44,000 वर्गफीट भूखण्ड, रुपए 1,600/– प्रति वर्गफीट की दर से, कुल प्रतिफल रुपए 7,04,00,000/– में आवेदक को विक्रय करने हेतु लिखित सौदा चिट्ठी (विक्रय अनुबंध) निष्पादित की। उक्त सौदे के अंतर्गत आवेदक ने दिनांक–27.10.2019 से दिनांक–31.03.2022 के मध्य आठ किश्तों में कुल रुपए 1,21,00,000/– शिकायतकर्ता को अदा किए, जिनकी प्रत्येक किश्त की पावती शिकायतकर्ता ने स्वयं अपने हस्ताक्षरों से सौदा चिट्ठी पर ही दी है। तत्पश्चात उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति लेख/निष्पादित हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने रुपए 1,21,00,000/– की प्राप्ति पुनः स्वीकार की। आवेदक के पत्र दिनांक–08.10.2025 एवं दिनांक–11.10.2025 की प्राप्ति एवं उनमें वर्णित तथ्यों को सत्य स्वीकार किया। अतिरिक्त क्षतिपूर्ति रूपए 1,09,60,000/– तय की तथा दिनांक–31 मई 2026 तक रजिस्ट्री करने एवं सुरक्षा बतौर रखे समस्त चेक आवेदक को लौटाने का लिखित

वचन दिया। शेष प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान की गारंटी स्वरूप आवेदक ने शिकायतकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, विजय नगर शाखा, इंदौर के सात चेक (क्रमांक 00001, 00002, 00005, 00007, 000075, 00017 एवं 00018) सुरक्षा बतौर सौंपे थे, जिनकी पावती शिकायतकर्ता ने लिखित में दी है। यही चेक अब शिकायतकर्ता द्वारा कथित ''ऋण चुकौती'' के चेक बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा रजिस्ट्री से टालमटोल करने तथा भूमि अन्यत्र बेचने के प्रयास की जानकारी मिलने पर आवेदक ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु समाचार पत्र ''अग्निबाण'' दिनांक–14.06.2026 में आम सूचना प्रकाशित कराई। इसके पश्चात् आवेदक ने दिनांक–22.07.2026 को शिकायतकर्ता एवं अन्य के विरुद्ध संविदा के विशिष्ट अनुपालन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सिविल वाद प्रस्तुत किया (फाइलिंग क्रमांक UN CIV/8179/2026), जो दिनांक–29.07.2026 को व्यवहार वाद क्रमांक RCS A/864/2026 (CNR: MP09010556872026) के रूप में पंजीबद्ध होकर माननीय अठारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में शिकायतकर्ता प्रतिवादी क्रमांक–1 है तथा प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति एवं लिखित कथन हेतु दिनांक–12.10.2026 को नियत है। उक्त समस्त लेन–देन एक अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। उभयपक्ष के मध्य विवाद यह है कि अनुबंध का पालन किसने नहीं किया, शेष राशि कितनी देय है तथा चेक किस प्रयोजन से दिए गए। उक्त प्रश्न विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति के हैं, जिनका निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर ही संभव है। शिकायतकर्ता ने सिविल विवाद को आपराधिक रंग देकर आवेदक पर दबाव बनाने हेतु यह प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथित बैंक लेन–देन के संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त राशि शिकायतकर्ता ने स्वयं अपनी नगदी की आवश्यकता हेतु आवेदक, उसकी पत्नी श्रीमती संगीता धाम, पुत्र श्री उदित धाम तथा फर्म सिग्मा एडवरटाइजिंग एवं अन्य खातों में अंतरित की थी, और उसके बदले संपूर्ण राशि आवेदक से नगद में प्राप्त कर ली थी। शिकायतकर्ता ने स्वयं अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर से ''रसीद /प्राप्ति स्वीकृति पत्र'' दिनांक–26.10.2019 निष्पादित कर यह घोषित किया है कि उक्त समस्त राशि उसने स्वयं की नगद आवश्यकता हेतु बिना किसी दबाव के

उक्त खातों में डाली थी, समस्त राशि उसे आरोपी/आवेदक राजीव धाम से नगद में पूर्ण संतुष्टि के साथ प्राप्त हो चुकी है एवं उक्त राशि के संबंध में उसका किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था पर कोई लेन–देन, दावा या बकाया शेष नहीं है। इस प्रकार शिकायतकर्ता की स्वयं की लिखित स्वीकारोक्ति से ही ''सौंपी गई राशि'', ''दुर्विनियोग'' एवं ''सदोष हानि'' तीनों का आधार समाप्त हो जाता है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत आवेदन में स्वयं कथित राशि वर्ष 2015 से 2018 के मध्य दिया जाना बताया है, जिसका पूर्ण निपटारा उक्त रसीद दिनांक–26.10.2019 द्वारा हो चुका था। उक्त रसीद के ठीक अगले दिन, दिनांक–27.10.2019 को शिकायतकर्ता ने आवेदक के साथ भूमि की सौदा चिट्ठी निष्पादित की जो यह सिद्ध करता है कि पूर्व लेन–देन का पूर्ण हिसाब हो चुका था और उभयपक्ष के मध्य कोई देनदारी शेष नहीं थी। कथित अपराध की अवधि दिनांक–01.02.2015 से दिनांक–06.01.2022 बताई गई है, किंतु शिकायतकर्ता ने चार वर्ष से अधिक समय तक कोई शिकायत नहीं की। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम ''रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण'' को रिक्त छोड़ा गया है। यह अस्पष्टीकृत–विलंब तथा आवेदक की आम सूचना के तत्काल पश्चात् शिकायत किया जाना, शिकायत के प्रतिशोधात्मक होने का स्पष्ट प्रमाण है। आवेदक का सिविल वाद दिनांक–29.07.2026 को पंजीबद्ध होकर शिकायतकर्ता को समन जारी होने के लगभग दो माह पश्चात् दिनांक–29.09.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ताकि लिखित कथन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा सके। शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह तथ्य पूर्णतः छिपाया कि उसने स्वयं रसीद दिनांक–26.10.2019 द्वारा समस्त राशि नगद में वापस प्राप्त होना एवं कोई दावा/बकाया शेष न होना लिखित में स्वीकार किया है। आम सूचना के खंडन में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने किसी भी व्यक्ति से कोई सौदा नहीं किया तथा सुरक्षा बाबत कोई चेक प्राप्त नहीं किए, किंतु पुलिस शिकायत में वह स्वयं स्वीकार करती है कि आवेदक ने उसे रु. 8,45,00,000/– के हस्ताक्षरित चेक दिए। शिकायतकर्ता एक ओर कहती है कि उसने आवेदक को ऋण दिया, दूसरी ओर यह भी स्वीकार करती है कि वह राशि ''जेठ के साथ चल रहे संपत्ति विवाद में मध्यस्थता'' के संदर्भ में दी गई है। शिकायतकर्ता स्वयं वादग्रस्त भूमि दिनांक–09.09.

2022 को श्रीमती नरेन्द्र कौर आनंद को बेचने का दावा करती है, जबकि उसी वर्ष दिनांक–31.03.2022 को वह आवेदक से सौदे की किश्त नकद प्राप्त कर रही थी। शिकायत में आग्नेयास्त्र से धमकी, जबरन वसूली, जालसाजी, आपराधिक अतिचार आदि गंभीर आरोप लगाए गए, किंतु पुलिस ने विस्तृत जाँच के पश्चात इनमें से किसी भी धारा (447, 468, 471, 384, 506, 120–बी) में अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि शिकायत अतिरंजित एवं असत्य है। भा.द.सं. की धारा–409 केवल लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी अथवा अभिकर्ता द्वारा अपने व्यवसाय के अनुक्रम में सौंपी गई संपत्ति के संबंध में लागू होती है। आवेदक न तो शिकायतकर्ता का व्यावसायिक अभिकर्ता है, न ही कोई राशि उसे ऐसी हैसियत में सौंपी गई। मात्र पारिवारिक परिचय एवं मध्यस्थता का आश्वासन किसी को धारा–409 के अर्थ में अभिकर्ता नहीं बनाता। यह धारा केवल प्रकरण को गंभीर दर्शाने हेतु जोड़ी गई है। धारा–406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता एक ही लेन–देन में साथ–साथ नहीं चल सकतीं। धारा–406 भारतीय दण्डस संहिता हेतु यह आवश्यक है कि संपत्ति ईमानदारी से सौंपी गई हो और बाद में बेईमानी से उसका दुर्विनियोग हुआ होय जबकि धारा–420 भारतीय दण्ड संहिता हेतु प्रारंभ से ही कपटपूर्ण प्रवंचना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लि. विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2024) में अभिनिर्धारित किया है कि ये दोनों अपराध एक ही तथ्यों पर परस्पर विरोधी हैं। मात्र संविदा भंग अथवा राशि न लौटाना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि लेन–देन के प्रारंभ से ही कपटपूर्ण आशय सिद्ध न हो सिविल विवादों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निंदा की है। कथित अंतिम लेन–देन दिनांक–06.01.2022 का है। धारा–406 भा.दं.सं. अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय है, अतः उसके संबंध में परिसीमा (धारा 468 दं.प्र.सं./धारा 514 बी.एन.एस.एस.) का प्रश्न भी उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्रकरण बैंक अभिलेखों, सौदा चिट्ठी, पावतियों, रसीद दिनांक–26.10.2019 एवं आपसी सहमति लेख जैसे दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, जो पहले से अभिलेख पर हैं अथवा बैंकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई बरामदगी शेष नहीं है। अतः आरोपी/आवेदक की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोपी/आवेदक ने प्रारंभिक जाँच में सहायक

पुलिस आयुक्त, संपत्ति व आर्थिक अपराध, जिला इंदौर के नोटिस दिनांक–03.07.2026 के पालन में दिनांक–07.07.2026 को स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों सहित कथन दिए और पूर्ण सहयोग किया। आरोपी/आवेदक भविष्य में भी विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। आरोपी/आवेदक 64 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक होकर उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ अथवा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि आरोपी/आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी, जबकि शिकायतकर्ता का उद्देश्य गिरफ्तारी के दबाव से आवेदक को सिविल वाद एवं विक्रय अनुबंध से पीछे हटने हेतु विवश करना है। आरोपी/आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक/आरोपी का उक्त प्रथम आवेदन स्वीकार कर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक की ओर से सूची मुताबिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी प्रतिलिपि उपस्थित लोक अभियोजक श्री अभिजीत सिंह राठौर को परिदत्त की गयी।

इसी प्रक्रम पर आपत्तीकर्ता/फरियादी की ओर से श्री अमित त्रिपाठी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित आपत्ती प्रस्तुत की, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक/अभियुक्त पक्ष को परिदत्त की गयी।

उक्त आपत्ती में संक्षेप में यह व्यक्त किया गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती मनमीत कौर आनंद, आयु–58 वर्ष उपरोक्त अपराध क्रमांक–154/2026 की प्रथम सूचनाकर्ता एवं प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित व्यक्ति है। शिकायतकर्ता एक विधवा महिला है, जिसके पति का देहावसान वर्ष 2003 में हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त ने शिकायतकर्ता एवं उसकी स्वर्गीय सास के पारिवारिक विश्वास का लाभ उठाकर वर्ष 2015 से वर्ष 2022 की अवधि में बैंक खातों के माध्यम से कुल 4,16,55,000/– प्राप्त किए, जिनमें से 3,90,90,970/– आज दिनांक तक वापस नहीं लौटाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आवेदक के विरुद्ध अपनी लिखित शिकायत पुलिस आयुक्त, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की, जो वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत क्रमांक का.शि.–653/26 दिनांक–25.06.2026 पर दर्ज हुई। संपूर्ण शिकायत जाँच नस्ती, आवेदिका/अनावेदक के कथन, बैंक ट्रांजेक्शन एवं

अन्य तथ्यों के अवलोकन के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्ट्या यह पाया गया कि आरोपी राजीव धाम ने स्वयं शिकायतकर्ता के घर आकर अपनी हर जगह जान–पहचान होने तथा शिकायतकर्ता के जेठ के साथ न्यायालय में चल रहे संपत्ति विवाद को मध्यस्थता कर निपटवा देने का भरोसा दिलाया। अपनी पत्नी संगीता धाम, पुत्र उदित धाम एवं भाई संजीव धाम के साथ मिलकर न्यायालयीन प्रकरण में सहायता का आश्वासन देकर शिकायतकर्ता एवं उसकी सास का विश्वास अर्जित किया तथा उसी विश्वास का लाभ उठाकर राशि प्राप्त की। पुलिस उपायुक्त (नगरीय अपराध) के आदेश क्रमांक–53/26 दिनांकित–29.09.2026 द्वारा शिकायत में अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक–29.09.2026 को थाना क्राइम ब्रांच, इन्दौर अर्बन में अपराध क्रमांक–0154/2026 धारा–406, 409, 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के प्रेरित करने पर शिकायतकर्ता एवं उसकी सास ने पारिवारिक संबंध एवं विश्वास के आधार पर, शीघ्र वापस लौटाने की शर्त पर, उक्त राशि अभियुक्त को सौंपी थी। सौंपी गई राशि में से कुछ राशि सीधे अभियुक्त की व्यावसायिक फर्म सिग्मा एडवरटाईजिंग के बैंक खाते में तथा शेष राशि अभियुक्त के स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों के खातों में प्राप्त की गई, और उसका बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया। राशि वापस लौटाने की माँग किए जाने पर अभियुक्त ने सुरक्षा के नाम पर चेक देकर शिकायतकर्ता को भ्रम में रखा तथा शिकायतकर्ता की सास की मृत्यु (नवंबर 2025) के उपरांत राशि लौटाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। शिकायत में आगे यह भी उल्लेख है कि अभियुक्त ने दिनांक–18.09.2021 को 'ऋण चुकौती घोषणा' निष्पादित कर शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार के प्रति अपनी देनदारी स्वीकार की तथा उसके निर्वहन के लिए 8,45,00,000/– (आठ करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) के अपने हस्ताक्षरित चेक जारी किए, परंतु उक्त घोषणा के अंतर्गत अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया। अभियुक्त शिकायतकर्ता के निवास पर बार–बार जबरन प्रवेश करता रहा, हथियार का खुले तौर पर प्रदर्शन कर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी, यह कहा कि यदि उसने मुँह खोला तो वह उसे गायब करवा देगा, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसने शहर के आधे गुंडों से जमानत

हासिल की है तथा न्यायपालिका में अपने संबंध होने की बात कहकर यह धमकी दी कि शिकायतकर्ता के पैसे माँगने पर वह मामले को उसके विरुद्ध निपटवा देगा। साथ ही शिकायतकर्ता की अचल संपत्ति के विक्रय हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की जानकारी मिलने पर उसके पीछे भी अभियुक्त की ही भूमिका होने तथा संभवतः जाली दस्तावेजों के प्रयोग का संदेह प्रकट किया गया है। शिकायत में यह भी गंभीर आरोप है कि अभियुक्त शिकायतकर्ता के निवास पर बार–बार जबरन प्रवेश करता रहा, हथियार का खुले तौर पर प्रदर्शन कर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी, यह कहा कि यदि उसने मुँह खोला तो वह उसे गायब करवा देगा, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसने ष्शहर के आधे गुंडों से जमानत हासिल की है, तथा न्यायपालिका में अपने संबंध होने की बात कहकर यह धमकी दी कि शिकायतकर्ता के पैसे माँगने पर वह मामले को उसके विरुद्ध निपटवा देगा। साथ ही शिकायतकर्ता की अचल संपत्ति के विक्रय हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की जानकारी मिलने पर उसके पीछे भी अभियुक्त की ही भूमिका होने तथा संभवतः जाली दस्तावेजों के प्रयोग का संदेह प्रकट किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीयन दिनांक–29.09.2026 को हुआ है और विवेचना अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक–7 में अभियुक्त क्रमांक–1 के रूप में आवेदक राजीव धाम का नाम दर्ज है तथा अभियुक्त क्रमांक–2 के रूप में 'अन्य (अज्ञात)' अंकित है, जिसका अर्थ है कि अपराध में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं भूमिका विवेचना में स्थापित की जानी शेष है।

प्रकरण केवल शिकायतकर्ता के मौखिक कथन पर आधारित नहीं है। कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत की जाँच एवं बैंक ट्रांजेक्शन के परीक्षण के उपरांत ही अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह तथ्य अपने आप में दर्शाता है कि अपराध पंजीबद्ध करने का निर्णय सोच–विचारकर, अभिलेखीय आधार पर लिया गया है, न कि किसी जल्दबाजी या दुर्भावना से। वर्ष 2015 से 2022 के मध्य आवेदक एवं उसके परिवार/फर्म द्वारा कुल 4,16,55,000/– की राशि प्राप्त किया जाना बैंक खातों के विवरण से प्रमाणित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 3,90,90,970/–रूपए शेष हैं, अर्थात् कुल प्राप्त राशि एवं शेष राशि के

अंतर के अनुसार लगभग 25,64,030/—रूपए आवेदक द्वारा स्वयं लौटाए गए हैं। आंशिक राशि लौटाना, दिनांक—18.09.2021 की ''ऋण चुकौती घोषणा'' में देनदारी स्वीकार करना तथा 8,45,00,000/— के चेक जारी करना, ये सभी आवेदक के स्वयं के कृत्य हैं, जो राशि प्राप्ति एवं देनदारी की उसकी स्वयं की स्वीकृति हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक ने शिकायतकर्ता के परिवार के न्यायालयीन संपत्ति विवाद को निपटाने में सहायता का दायित्व लेकर उनके अभिकर्ता की हैसियत से विश्वास अर्जित किया तथा उसी हैसियत में राशि प्राप्त की। ऐसी हैसियत में प्राप्त राशि के संबंध में आपराधिक न्यासभंग का आरोप धारा—409 भा.दं.सं. के अंतर्गत आता है, जो आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय है। अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 से 2018 के मध्य तत्काल वित्तीय आवश्यकता एवं शीघ्र पुनर्भुगतान के बार—बार गंभीर आश्वासन देकर राशि प्राप्त की गई। राशि प्राप्त होते ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और उसने भुगतान टालना प्रारंभ कर दिया। सुरक्षा के नाम पर चेक दिए, किंतु उनके द्वारा देनदारी का वास्तविक निर्वहन नहीं कियाय दिनांक—18.09.2021 को ''ऋण चुकौती घोषणा'' निष्पादित की, किंतु उसकी भी किसी शर्त का पालन नहीं कियाय और अंततः फरियादी की सास की मृत्यु के पश्चात् राशि लौटाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। यह संपूर्ण आचरण—क्रम, जिसमें हर चरण पर नया आश्वासन देकर शिकायतकर्ता को कार्यवाही से रोके रखा गया, इस बात का प्रबल संकेतक है कि अभियुक्त का आशय राशि प्राप्त करते समय से ही बेईमानीपूर्ण था, जो धारा—420 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध की मूल सामग्री है। प्रकरण में लगभग 3.90 करोड़ की राशि का अंतिम गंतव्य, अभियुक्त की फर्म ''सिग्मा एडवरटाईजिंग'' के खाते में प्राप्त राशि का उपयोग, अभियुक्त के परिवार के सदस्यों (संगीता धाम, उदित धाम एवं संजीव धाम) के खातों में गई राशि की स्थिति, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य के रूप में दर्ज अज्ञात सहअभियुक्तों की पहचान, जारी किए गए चेकों एवं अन्य मूल दस्तावेजों की बरामदगी, शिकायतकर्ता की संपत्ति के विक्रय संबंधी विज्ञापन में प्रयुक्त कथित जाली दस्तावेजों की जाँच, शिकायत में उल्लिखित आग्नेयास्त्र की बरामदगी एवं उसके वैध/अवैध होने का सत्यापन, तथा आवेदक के मोबाइल, संदेश, ई—मेल आदि डिजिटल साक्ष्य, इन सभी बिंदुओं पर प्रभावी

विवेचना के लिए आवेदक की अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक है। अग्रिम जमानत का संरक्षण मिलने की स्थिति में आवेदक को स्वयं पर लगे आरोपों के अनुरूप साक्ष्य नष्ट करने, खातों की स्थिति बदलने, संपत्तियों का अंतरण करने तथा धन के मार्ग को छिपाने का पूर्ण अवसर मिल जाएगा। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि जहाँ तथ्यों की गहन जाँच एवं साक्ष्य की बरामदगी हेतु अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक हो, वहाँ अग्रिम जमानत देना विवेचना को निष्प्रभावी बना देता है, यह सिद्धांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है। साक्षी को धमकाने एवं साक्ष्य से छेड़छाड़ की प्रबल आशंका यह कि शिकायतकर्ता की सास, जो अभियुक्त को राशि सौंपे जाने की प्रत्यक्ष साक्षी थीं, नवंबर 2025 में दिवंगत हो चुकी हैं। अब शिकायतकर्ता, एक विधवा, ही प्रमुख साक्षी है। शिकायत में स्पष्ट आरोप है कि अभियुक्त ने उसके निवास पर जबरन प्रवेश कर हथियार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे गायब करने की बात कही, यह कहा कि उसने ष्शहर के आधे गुंडों से जमानत ले रखी है तथा न्यायपालिका में अपने संबंधों का हवाला देकर कहा कि पैसे माँगने पर वह मामला उसके ही विरुद्ध निपटवा देगा। ऐसे अभियुक्त को अग्रिम जमानत का संरक्षण मिलने पर शिकायतकर्ता के जीवन, स्वतंत्रता एवं साक्ष्य देने की निर्भीकता को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। साक्षियों को प्रभावित करने की आशंका जमानत पर विचार का एक स्थापित एवं महत्वपूर्ण कारक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आर्थिक अपराध एक पृथक वर्ग का गंभीर अपराध है, जो समाज की आर्थिक संरचना एवं जनविश्वास को प्रभावित करता है, तथा ऐसे अपराधों में जमानत पर विचार करते समय गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी दोहराया गया है कि आर्थिक अपराधों में अपराध की गंभीरता एवं अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, अग्रिम जमानत पर विचार के समय महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपराध की राशि लगभग चार करोड़ रुपये है एवं पीड़िता एक वृद्ध विधवा है, जिसकी जीवन भर की बचत एवं विरासत दाँव पर लगी है। अग्रिम जमानत एक असाधारण राहत है, जिसे प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्वक ही प्रदान किया जाना चाहिए। संभावित रूप से आवेदक यह तर्क लेगा कि यह लेन–देन ऋण या सिविल प्रकृति का है, यह तर्क प्रकरण के वास्तविक तथ्यों के विपरीत है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार राशि केवल उधार नहीं दी गई थी, अपितु आवेदक ने शिकायतकर्ता के पारिवारिक न्यायालयीन विवाद में सहायता का दायित्व लेकर अभिकर्ता की हैसियत से विश्वास अर्जित किया, उसी हैसियत में राशि प्राप्त की, उसका एक भाग अपनी फर्म तथा परिवार के सदस्यों के खातों में अंतरित करवाया, तथा देनदारी स्वीकार करने के बावजूद उसे चुकाने के बजाय धमकियाँ दीं। इन तथ्यों में सौंपी गई संपत्ति के दुर्विनियोग एवं छल दोनों के तत्व विद्यमान हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मात्र इस आधार पर कि सिविल उपचार उपलब्ध है, आपराधिक कार्यवाही वर्जित नहीं हो जातीय यदि तथ्यों से आपराधिक अपराध के तत्त्व बनते हैं, तो सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियाँ साथ–साथ चल सकती हैं। देनदारी की लिखित स्वीकृति होने से आवेदक का अपराध समाप्त नहीं होता, बल्कि वह राशि प्राप्ति का उसका अपना प्रमाण है। आयु, स्वास्थ्य, सामाजिक जड़ें आदि आधार अपर्याप्त हैं। आवेदक ने अपने आवेदन में यह आधार लिया हो सकता है कि आवेदक की आयु (अभिलेख के अनुसार जन्म वर्ष 1962), निवास की स्थिरता या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए परंतु वर्तमान परिस्थिति में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता, विशेषकर तब जब आरोप आवेदक के उसी सामाजिक प्रभाव एवं प्रतिष्ठा के दुरुपयोग का है। सहअभियुक्तों की भूमिका एवं विवेचना का प्रारंभिक चरण यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात अन्य अभियुक्तों का उल्लेख है तथा शिकायत में आवेदक की पत्नी, पुत्र एवं भाई द्वारा आश्वासन देने एवं राशि अपने खातों में प्राप्त करने का आरोप है। विवेचना अभी प्रारंभिक चरण में हैय बैंक अभिलेखों का संकलन, सभी खातों का विश्लेषण, साक्षियों के कथन, दस्तावेजों एवं डिजिटल साक्ष्य की जब्ती आदि शेष हैं। इस चरण पर आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने से विवेचना बाधित होगी, तथा सहअभियुक्तों को भी साक्ष्य नष्ट करने का अवसर मिलेगा। आवेदक के जाँच में सहयोग करने के मात्र कथन से अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता समाप्त नहीं होती। अतः आवेदक/आरोपी द्वारा प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। राज्य की ओर से अपर लोक

अभियोजक द्वारा आवेदन पत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

केशडायरी व प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत आपत्ती का अवलोकन किया गया।

आरक्षी केन्द्र क्राइम ब्रांच, जिला–इंदौर(म.प्र.) के अपराध क्रमांक–154/2026 अंतर्गत धारा–406, 409, 420 भारतीय दण्ड संहिता का अवलोकन पर अभियोगी श्रीमती मनमीत कौर आनंद द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन पत्र पर से दिनांक–29.09.2026 को अपराध पंजीबद्ध किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक राजीव धाम पिता स्व वेदप्रकाश निवासी रायल प्रिमियम फ्लेट नंबर–602 स्कीम नंबर–74 विजय नगर इन्दौर ने स्वयं आवेदिका श्रीमती मनमीत कौर आनंद पति स्वर्गीय श्री जसप्रीत सिंह आनंद के घर आकर अपनी हर जगह जान–पहचान होने तथा जेठ के साथ न्यायालय में चल रहे संपत्ति विवाद को मध्यस्था कर निपटवाने का भरोसा दिलाया तथा अपनी पत्नी संगीता धाम, पुत्र उदित धाम एवं भाई संजीव धाम के साथ मिलकर न्यायालयीन प्रकरण में सहायता का आश्वासन देकर आवेदिका एवं उसकी सास का विश्वास अर्जित किया। इसी विश्वास का लाभ उठाकर अनावेदकगण ने राशि प्राप्त कर आश्वासन देकर आवेदिका एवं उसकी सास को बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2015 से 2022 के मध्य उनके बैंक खातों से कुल रु. 4,16,55,000/– अनावेदकगण प्राप्त किये । जो बैंक खातों के विवरण से प्रमाणित है। राशि प्राप्त करने के पश्चात रु. 3,90,90,970/– आज दिनांक तक नहीं लौटाई गई, सुरक्षा के नाम पर चेक देकर आवेदिका को भ्रमित रखा गया तथा सास की मृत्यु के बाद राशि लौटाने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि राशि प्राप्त करते समय से ही अनावेदकगण की नीयत बेईमानी की थी तथा उन्होंने आवेदिका एवं उसकी सास के साथ छल कर बेईमानी से राशि प्राप्त की है। आवेदिका एवं उसकी सास द्वारा पारिवारिक संबंध एवं विश्वास के आधार पर जल्द वापस लौटाने की शर्त पर उक्त राशि अनावेदकगण को सौंपी गई थी। अनावेदकगण ने इस प्रकार न्यस्त की गई राशि में से रु. 3,90,90,970/– बेईमानी से स्वयं के उपयोग में लेकर उसका दुर्विनियोग किया तथा वापस लौटाने की शर्त का उल्लंघन कर मांगने पर राशि लौटाने से इंकार किया, जिससे आवेदिका एवं उसकी

सास को सदोष हानि एवं अनावेदकगण को सदोष लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त अनावेदक राजीव धाम ने आवेदिका के परिवार के पारिवारिक मामले का निराकरणध्न्यायालय में सहायता करने का दायित्व लेकर उनके अभिकर्ता के रूप में विश्वास अर्जित किया तथा इसी हैसियत में राशि प्राप्त की। सौंपी गई राशि में से कुछ राशि सीधे अनावेदक की व्यावसायिक फर्म सिग्मा एडवरटाईजिंग के बैंक खाते में प्राप्त की गई तथा शेष राशि स्वयं के एवं अपने परिवार के सदस्यों के खातों में प्राप्त कर उसका बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया। इस प्रकार अभिकर्ता एवं व्यवसायी की हैसियत से न्यस्त राशि के संबंध में आपराधिक न्यासभंग किया गया है। अतः उक्त पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 406,409,420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

केशडायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि, मामला अभी विवेचना के प्रारंभिक प्रक्रम पर है। आवेदक/अभियुक्त प्राथिमिकी में नॉमित हैं तथा प्रथम दृष्टया अपराध में उसकी संलिप्तता निराधार प्रतीत नहीं होती है। उस पर फरियादिया से 3,90,90,970/—रूपए जोकि एक बहुत ही बडी राशि के संबंध में छल कर आपराधिक न्यायभंग किये जाने पर से भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420,409, 406 के अधीन दण्डनीय अपराध का आक्षेप हैं। उक्त आवेदक/अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध सूक्ष्म या साधारण प्रकृति का होना भी परिलक्षित नहीं होते हैं।

आवेदक द्वारा अपने जमानत आवेदन पत्र में दिया गया यह आधार कि उसने अपराध नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया है एवं अन्य आधार जो आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये हैं इन तथ्यों का निराकरण उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण—दोष के आधार पर ही निराकृत किया जा सकता हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क के दौरान जो कथित रसीद/प्राप्ति/स्वीकृति दिनांकित—26.10.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है की सत्यता पर इस प्रक्रम पर विचार नहीं किया जा सकता है।

न्याय दृष्टांत— **स्टेट ऑफ एम.पी. विरूद्ध प्रदीप शर्मा, (2014) 2 एस.सी.सी. 171** के अनुसार धारा—438 की प्रकृति और विस्तार—ये शक्तियाँ असाधारण हैं और इनका उपयोग अपवाद स्वरूप मामले में जहां यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को असत्य रूप से लिप्त किया

गया है और उसके द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की संभावना नहीं है वहीं किया जाना चाहिये।

न्याय दृष्टांत— **डी.के. गणेश बाबू विरूद्ध पी.टी मनोकरण ए. आई. आर. 2007 एस.सी. 1450** के अनुसार अग्रिम जमानत की शक्तियाँ एक्सटरा ऑडिनरी पॉवर है इनका उपयोग बहुत कम करना चाहिए प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधानिकता नहीं देखी जा सकती गिरफ्तारी को रोकने के लिए अंतरिम आदेश नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसी दशा में उक्त सम्मानीय न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्वान्तों के प्रकाश में प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुण—दोषों पर टिप्पणी किये बिना आपत्तीकर्ता की आपत्ती स्वीकार की जाकर आवेदक/अभियुक्त राजीव धान का धारा—482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अग्रिम प्रतिभूति हेतु प्रस्तुत आवेदन—पत्र स्वीकारयोग्य प्रतीत नहीं होने से **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज प्रकरण निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

(हेमन्त कुमार रघुवंशी)
28वे अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर
जिला—इंदौर(म.प्र.)

HEMANT KUMAR RAGHUVANSHI

Digitally signed by HEMANT KUMAR RAGHUVANSHI
Date: 2026.10.06 18:46:52 +0530